

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 144/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/219

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी

भीमाराम पुत्र बुधाराम

जाति कलबी

निवासी-थोब


तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

- 1.रूपोदेवी पत्नी रूपाराम जाति कलबी
निवासी राजेश्वर नगर थोब
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
- 2.तुलछाराम पुत्र वीरमाराम जाति कुम्हार
निवासी बालेसर
- 3.सुगनाराम पुत्र वीरमाराम जाति कुम्हार
निवासी बालेसर
- 4.अमराराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
निवासी चारलाई खुर्द, तहसील कल्याणपुर
- 5.गोपाराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
निवासी चारलाई खुर्द
- 6.वागाराम पुत्र खेताराम जाति जाट
निवासी गवालनाड़ा तहसील कल्याणपुर
- 7.हिमताराम पुत्र ताजाराम जाति जाट
निवासी चारलाई खुर्द तहसील
कल्याणपुर
- 8.जैरूपाराम पुत्र नारणाराम जाति नाई
निवासी रेवाड़ा आसिया, तहसील पचपदरा
- 9.राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-


- 1.श्री अचलाराम थोरी ,अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.श्री प्रेमसिंह सिसोदिया अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
- 3.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4
- 4.विप्रार्थी संख्या 02,3 व 5 से 09 एकपक्षीय


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 03.05.2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह सिसोदिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा उक्त विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थी का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधसरी द्वारा विप्रार्थी संख्या 04 की तरफ से वकालतनामा पेश किया। लेकिन जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 02, 3 व 5 से 09 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. हमने प्रार्थी अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 01 व 04 अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।
4. विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी की ओर से झूठे तथ्यो के आधार पर आवेदन पेश किया है। विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया है और न ही विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं में दखलदान्जी की गई है। प्रार्थी द्वारा केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया है, जो सारहीन होने के कारण खारिज किया जावे।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5. विप्रार्थी संख्या 04 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। क्योंकि विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। इस कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड्ड खातेदार है, और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:


1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.8.2022 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा संडायचा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या


उपनिर्देश अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

57/35 क्षेत्रफल 5.6413 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करे।



(राजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 03.05.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा